

कोट फीस 1.50 रू0 अनुसूचित  
जाति को छोड़कर

राजस्व विभाग  
उत्तर प्रदेश शासन  
जाति प्रमाण पत्र हेतु आवेदन पत्र

1. प्रार्थी का नाम.....
2. पिता/पति का नाम .....
3. वर्तमान पता: .....
- (क) मकान नम्बर: .....
- (ख) मोहल्ला: .....
- (ग) ग्राम व राजस्व ग्राम: .....
- (घ) तहसील:.....
- (ङ.) जनपद:.....थाना.....
4. स्थाई पता:.....
- .....
5. जाति/उपजाति: .....
6. प्रमाण पत्र बनवाने की आवश्यकता: .....
7. प्रमाण पत्र का प्रारूप :  
(1) भारत सरकार  (2) उत्तर प्रदेश सरकार
8. क्या इससे पूर्व जाति प्रमाण पत्र जारी हुआ है:.....

स्वयं  
हस्ताक्षरित  
दिनांकित  
फोटो

आवेदनकर्ता/अभिभावक का नाम  
हस्ताक्षर

**आवश्यक दस्तावेज—**

1. ग्राम प्रधान द्वारा प्रमाणित जाति प्रमाण पत्र जिसमें दो व्यक्तियों की गवाही हो
2. जाति और किमिलेयर के सन्दर्भ में एफिटेविट (केवल ओ0बी0सी0 पिछड़ी जाति के लिये लागू)

**नोट—** आवेदन पत्र पूर्ण एवं स्पष्ट भरी जाये।